निगरानी /कोलो/1522/ 2001/ कोटा

जोधराज बनाम नूर वगैरह **WR**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
27-8-25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक प्रार्थी, श्री एस.पी.औझा, राजकीय अभिभाषक, अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, **आदेश** 1. यह निगरानी अंतर्गत नियम 17 राजस्थान उप निवेशन (चंबल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन तथा विक्रय) नियम 1957 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–01 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि उपखंड अधिकारी कोटा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 21–4–84 को ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा के खसरा नंबर 1243 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 1247 रकबा 19 बिस्वा , खसरा नंबर 1248 रकबा 13 बिस्वा कुल 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि के किये गये आवंटन एवं तहसीलदार लाडपुरा का आदेश दिनांक 26–12–97 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा आलौच्य निर्णय दिनांक 28–2–01 से निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि उपखंड अधिकारी ने प्रार्थी को नियमानुसार नियमों की पूर्ण पालना करते हुये कीमतन आवंटन किया था। आवंटी ने आवंटन के बाद भूमि पर काश्त, करी आवंटन की राशि जमा करवाई तथा नियमों की पूरी पालना की। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के आवंटन नियमों की पालना नहीं होना मानते हुये आवंटन निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा माना। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कुछ रकबे पर कब्जा करने की स्थिति में उसे बेदखल किया जाकर प्रार्थी को कब्जा दिलाया गया। अपीलीय प्राधिकारी ने प्रार्थी को भूमि का नियमन किये जाने का गलत आदेश दिया है। जबकि वादग्रस्त आराजी पर न तो अप्रार्थीगण का कब्जाकाश्त है और न ही वह नियमन की पात्रता रखता है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के आवंटन के विरूद्ध मियाद बाहर अपील पेश की थी तथा संतोषजनक कारण भी अंकित नहीं किये थे। प्रार्थी भूमिहीन कृषक है तथा बरवक्त आवंटन, आवंटन की पूर्ण योग्यता रखता था इसलिये आवंटन सलाहकार समिति ने प्रार्थी को भूमि का कीमतन आवंटन किया था। प्रार्थी का जीवन यापन का साधन आवंटित भूमि ही है। इतने लम्बे समय पश्चात् प्रार्थी का कीमतन आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। राजस्व अपील प्राधिकारी ने विधिक प्रावधानों के सवर्था विपरीत जाकर प्रार्थी के पक्ष में हुये आवंटन को निरस्त करते हुये विधि विरूद्ध सीधे ही अप्रार्थी को बिना किसी आधार के विवादित आराजी का नियमन करने के आदेश पारित कर दिये जो न्यायोचित नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थी का आवंटन बहाल रखा जावे। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने 2001 आरआरडी पेज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	437, 2006–II आरआरटी पेज 1220 व 1171, 2007–II आरएलडब्ल्यू पेज 1136 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया। 4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्राथ्री के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के आदेश को क्षेत्राधिकार विहिन होना कथन किया। 5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि उपखंड अधिकारी कोटा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 21–4–84 को ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा के खसरा नंबर 1243 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 1247 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 1248 रकबा 13 बिस्वा कुल 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि के किये गये आवंटन एवं तहसीलदार लाडपुरा का आदेश दिनांक 26–12–97 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा आलौच्य निर्णय दिनांक 28–2–01 से निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी का कीमतन आवंटन दिनांक 21–4–84 का है तथा आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाहीं वर्ष 1998 में 14 वर्ष पश्चात् प्रारम्भ की गई। अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं किया गया है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की गई हो। मात्र कब्जा न होने के आधार पर आवंटी का आवंटन खारिज किया गया है जबकि प्रारम्भ के तीन वर्ष तक आवंटी द्वारा विवादित आराजी पर काश्त नहीं करने बाबत् तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में उक्त शर्ते भी हटा दी गई है। अपीलीय न्यायालय ने मात्र अप्रार्थीगण के कथनों पर विश्वास करते हुये निर्णय पारित किया है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाहीं के नोटिस जारी किये गये है जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी मात्र अतिक्रमी की हैसियत से विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। आवंटन होने के 14 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने का कोई ठोस एवं संतोषजनक कारण भी अंकित नहीं किये गये है। इस एकल पीठ की सुविचारित राय में विवादित आरजी के आवंटन का क्षेत्राधिकार आवंटन सलाहकार समिति व आवंटन अधिकारी को ही प्राप्त है अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया के तहत अपील को रिमाण्ड नहीं कर स्वयं के स्तर पर ही अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के नियमन किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। अपीलीय न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार विहिन आदेश की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश पारित करने में स्पष्ट विधिक त्रुटि कारित की है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते हैं। 2001 आरआरडी पेज 437(एचसी)पर उद्दरित न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया हैं कि– *"This land is allotted to poor persons like respondent No.5, and he has not been given the real, effective and substantial relief and justice but this Litigation comes to him as a gift from the Government as that what it is clear from this litigation. The officers of the Government to take all care and caution that this landless persons are given the land and not the litigation. If the lands are under the possession of trespasser a drastic action is to be taken and they are to be evicted therefrom and then the*	

land is to be allotted to the landless persons so that real purpose and object underline in the Rules, 1970 is fulfilled. It is unfortunate that for the Government action what is said in the newspaper or media will be proved to be contrary if we go by the realities of the things. The Government officers may take and feel happy with this the statistical credits that thousands of bighas of land have been allotted to landless persons but if we go by the realities it is not the land but a litigation which has been allotted to this poor class of the persons. These rank trespassers are dragging the bonafide allottee of the land in the litigation and every allottee may not be in a position to resist the litigation and on one day he may surrender to their wishes and desires. Learned counsel for the petitioners has failed to show how the findings recorded by the three authorities regarding the allotment of land has been made after making strict compliance of the Rules, 1970 suffers from any illegality or perversity"

अतः अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–2–01 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

7– परिणामतः हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–2–01 निरस्त किया जाता है तथा उपखंड अधिकारी कोटा का आवंटन आदेश दिनांक 21–4–84 व तहसीलदार लाडपुरा का आदेश दिनांक 26–12–97 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य